अपील सूचना अधिकार संख्या 05/2021 (GCMS 2021/10) मंगल सिंह पुत्र श्री गुलजार सिंह निवासी वार्ड नं. 7, नया 10, यूआईटी कॉलोनी, [illegible]मनगर, श्रीगंगानगर (48F-443927) <u>बनाम</u> जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>24.03.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मंगल सिंह सुधन उपस्थित नहीं है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.2020 के द्वारा पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी और जो उनके द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी क

ो आदेशित/निर्देशित कर पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी मंगल सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2020 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी :

1. **प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति कार्यालय, श्रीगंगानगर में कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन सेवायें हेतु वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 हेतु अधिकृत की गई फर्म को जारी आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।**
2. **उक्त कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन सेवायें हेतु अधिकृत फर्म को माह 01/2020 से 08/2020 तक किये गये भुगतान की प्रमाणित प्रतियां एवं चैक की फोटो प्रतियां उपलब्ध करवायें।**
3. **कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन सेवायें हेतु अधिकृत फर्म द्वारा निविदा पर रखे गये कम्प्यूटर ऑपरेटर जिनको भुगतान किया गया है कि मय नाम (कम्प्यूटर ऑपरेटरों के) भुगतान माह 01/2020 से 08/2020 तक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवावें।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के तहत निगम कार्यालय श्रीगंगानगर में रखे गये वाहन के लिए जारी आदेश एवं उक्त वाहन पेटे किये गये भुगतान की प्रमाणित प्रति एवं कोविड–19 के तहत ही रखे गये कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए फर्म को जारी आदेश की प्रमाणित प्रति एवं फर्म को किये गये भुगतान की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवायें।

5. कोविड–19 द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की सेवायें हेतु अधिकृत फर्म द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटरों को किये गये भुगतान मय नाम सहित प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।

प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक राराखनाआनि/गंगा/2020–21/650 दिनांक 25.11.2020 से प्रार्थी को सूचना का अधिका अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का जवाबन निम्नानुसार दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार है :

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति कार्यालय, श्रीगंगानगर में कम्प्यूटर ऑपरेटर एमय मशीन सेवायें हेतु वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 हेतु अधिकृत की गई फर्म को जारी आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।	अधिकृत फर्म को इस कार्यालय से दिए गए कार्यादेश की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>उक्त कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन सेवायें हेतु अधिकृत फर्म को माह 01/2020 से 08/2020 तक किये गये भुगतान की प्रमाणित प्रतिया एवं चैक की फोटो प्रतियां उपलब्ध करवायें।</td>
<td>अधिकृत फर्म को माह 01/2020 से 08/2020 तक किए गए भुगतान सूचना संलग्न है।
<table>
<tr><th>माह</th><th>कुल राशि</th><th>भुगतान की गई राशि</th><th>TDS ded.</th></tr>
<tr><td>जनवरी</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
<tr><td>फरवरी</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
<tr><td>मार्च</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
<tr><td>अप्रैल</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
<tr><td>मई</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
<tr><td>जून</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
<tr><td>जुलाई</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
<tr><td>अगस्त</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
</table>
चैक की फोटो प्रति कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन सेवायें हेतु अधिकृत फर्म द्वारा निविदा पर रखे गये कम्प्यूटर ऑपरेटरों जिनको भुगतान किया गया है कि मय नाम (कम्प्यूटर ऑपरेटरों के) भुगतान की माह 01/2020 से 08/2020 तक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।</td>
<td>कार्यालय द्वारा सेवा प्रदाता एजेन्सी को भुगतान किया जाना है न की कम्प्यूटर ऑपरेटरों को। कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं। सेवा प्रदाता एजेन्सी को किए गए भुगतान की सूचना संलग्न है।
<table>
<tr><th>माह</th><th>कुल राशि</th><th>भुगतान की गई राशि</th><th>TDS ded.</th></tr>
<tr><td>जनवरी</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
<tr><td>फरवरी</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
<tr><td>मार्च</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
<tr><td>अप्रैल</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
<tr><td>मई</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
<tr><td>जून</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
<tr><td>जुलाई</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
<tr><td>अगस्त</td><td>25500</td><td>24990</td><td>510</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

<table>
<tr>
<td>4</td>
<td>राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के तहत निगम कार्यालय, श्रीगंगानगर में रखे गये वाहन के लिए जारी आदेश एवं उक्त वाहन पेटे किये गये भुगतान की प्रमाणित प्रति एवं कोविड–19 के तहत ही रखे गये कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिये फर्म को जारी आदेश की प्रमाणित प्रति एवं फर्म को किये गये भुगतान की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवायें।</td>
<td>कार्यालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति ।
वाहन के पेटे किये गये भुगतान की सूचना संलग्न है।
<table>
<tr><th>माह</th><th>कुल राशि</th><th>भुगतान की गई राशि</th><th>TDS ded.</th></tr>
<tr><td>अप्रैल</td><td>28500</td><td>28215</td><td>285</td></tr>
<tr><td>मई</td><td>28500</td><td>28215</td><td>285</td></tr>
<tr><td>जून</td><td>28500</td><td>28215</td><td>285</td></tr>
</table>
कार्यालय द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता एजेन्सी को जारी आदेश की प्रमाणित प्रति। सेवा प्रदाता एजेन्सी को किये गये भुगतान की सूचना संलग्न है।
<table>
<tr><th>माह</th><th>कुल राशि</th><th>भुगतान की गई राशि</th><th>TDS ded.</th></tr>
<tr><td>अप्रैल, मई, जून</td><td>21250</td><td>20825</td><td>425</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>कोविड–19 द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेयर मय मशीन के सेवायें हेतु अधिकृत फर्म द्वारा कम्प्यूटरों को किये गये भुगतान मय नाम सहित प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।</td>
<td>कार्यालय द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता एजेन्सी को भुगतान किया गया है न की कम्प्यूटर ऑपरेटरों को। कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हैं</td>
</tr>
</table>

प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध **में भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 10 जुलाई 2008 अवलोकनीय** है जिसमें निम्न प्रकार से अंकित किया गया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना और सूचना का अधिकार की परिभाषा का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री से नोट लेने, सामग्री का उद्धरण अथवा प्रमाणित प्रतियां लेने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया हो। अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से ये अपेक्षित नही है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले निष्कर्ष को आवेदक को भेजे। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध हो। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं हैं।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति, श्रीगंगानगर द्वारा आवेदक द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 25.11.2020 से जवाब दिया जा चुका है जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर